पत्रांक :- 01 दिनांक 22-9-2019

सेवा में,

मानननीय मुख्यमंत्री,
बिहार सरकार।

विषय :-**प्रोन्नति पर रोक हटाने के संबंध में।**

महाशय,

उपरोक्त विषयक दिनांक–22.09.2019 को बिहार प्रशासनिक सेवा संघ, बिहार पुलिस सेवा संघ, बिहार, अभियंत्रण सेवा संघ, बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ, बिहार पुलिस एसोशियेसन एवं सचिवालय सेवा संघ द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रोन्नति पर रोक लगाये जाने पर काफी रोष प्रकट किया गया है।

(i) सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र ज्ञापांक–5066, दिनांक–11.04.2019 द्वारा एम0जे0सी0 सं0–2847/2018, एम0जे0सी0 सं0–2696/2018 एवं सी0ड़ब्ल्यू0जे0सी0 सं0–14907/2018 में दिनांक–01.04.2019 को पारित आदेश के आलोक में राज्य सरकार की सभी सेवाओं एवं पदों पर दी जाने वाली सभी प्रोन्नतियाँ एवं प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की कार्रवाई अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई। जबकि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक–01.04.2019 में प्रोन्नति पर कोई रोक नहीं लगायी गयी है वशर्ते आदेश है कि **"The state of bihar if it desires to proceed with any further promotion, it will have to seek prior orders either from the Apex Court or seek leave of this court."**

(ii) दिनांक–11.04.2019 को प्रोन्नति पर रोक के उपरान्त पुनः पदाधिकारी बगैर प्रोन्नति पाए सेवा निवृत हो रहे हैं, जिन्हें प्रोन्नति के साथ–साथ वित्तीय नुकसान भी हो रहा है। साथ ही प्रोन्नति नहीं होने से पदाधिकारियों का मनोबल गिरता जा रहा है।

(iii) हम सभी को यह जानकर खुशी होती है कि राज्य में पदास्थापित भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों का प्रोन्नति होता है, परन्तु हम बिहारवासियों के उपरोक्त वर्णित सेवा के साथ–साथ अन्य सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों/कर्मचारियों का प्रोन्नति अपने ही राज्य में नहीं होता है। अन्य राज्यों यथा झारखण्ड, उत्तरप्रदेश में राज्य के पदाधिकारियों/कर्मचारियों की प्रोन्नति की जा रही है।

(iv) वर्ष 2014 में भी सामान्य प्रशासन के पत्रांक–11218, दिनांक–12.08.2014 प्रोन्नति समिति की बैठक पर रोक लगा दी गई थी जबकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कोई रोक नहीं लगायी गयी थी। जिसे सामान्य प्रशासन द्वारा 1 वर्ष 8 माह बाद बगैर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पत्रांक–4800, दिनांक–01.04.2016 द्वारा प्रोन्नति की गई।

(v) हम सभी सेवा संवर्ग का भवदीय से विनम्र निवेदन है कि राज्य के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के अवरूद्ध प्रोन्नति को अविलम्ब प्रारम्भ करने का निदेश संबंधित को देने की महत्ती कृपा की जाय।

1. बिहार प्रशासनिक सेवा संघ — (सुशील कुमार) अध्यक्ष
   खुर्शीद अनवर सिद्दिकी – महासचिव

2. बिहार पुलिस सेवा संघ — मनीष कुमार सिन्हा – अध्यक्ष
   राजविजय सिंह – उपाध्यक्ष

3. बिहार अभियंत्रण सेवा संघ — महासचिव

4. बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ — (डॉ० रणजीत कुमार) महासचिव

5. बिहार पुलिस एसोशियेसन — अध्यक्ष

6. बिहार सचिवालय सेवा संघ — महासचिव